[2021] 9 एस. सी. आर 506

बिहार राज्य और अन्य

बनाम

मधु कांत रंजन और अन्य

(2021 की दीवानी अपील संख्या 7677)

16 दिसंबर, 2021

[एम. आर. शाह और बी. वी. नागरत्ना, न्यायमूर्तिगण]

सेवा कानूनः नियुक्ति- उम्मीदवार/आवेदक को विज्ञापन में उल्लिखित कट-ऑफ तिथि से पहले सभी शर्तों/पात्रता मानदंडों का पालन करना होगा, जब तक कि भर्ती प्राधिकारी द्वारा इसे बढाया ना जाए। साथ ही आवेदन पत्र के साथ जमा किए गए केवल उन्ही दस्तावेजो पर विचार किया जाना है, जिन्हें विज्ञापन के अनुसार जमा करना आवश्यक है। इसलिए, जब प्रतिवादी संख्या-1 मूल रिट याचिकाकर्ता ने विज्ञापन के अनुसार मूल आवेदन के साथ एनसीसी 'बी' प्रमाणपत्र की छायाप्रति प्रस्तुत नहीं की और उसे कट-आँफ तिथि से तीन साल की अवधि के बाद प्रस्तुत किया गया था और वह भी शारीरिक परीक्षण के बाद वह एनसीसी 'बी' प्रमाणपत्र के बाद वह एनसीसी 'बी' प्रमाणपत्र के अतिरिक्त पांच अंक के हकदार नहीं थे।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

ऐसा मानाः विज्ञापन के अनुसार, आवेदकों को सभी संबंधित दस्तावेजो/प्रमाणपत्रों के साथ आवेदन पत्र की छायाप्रतियों को जमा करना था एवं मूल प्रतियों को चयन परिषद के समक्ष उनकी नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना आवश्यक था। मूल रिट याचिकाकर्ता ने अपने

मूल आवेदन के साथ एनसीसी 'बी' प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत/जमा नहीं की। इसलिए, आवेदन के साथ एनसीसी 'बी' प्रमाण पत्र की छायाप्रति जमा करने के अभाव में, उन्हें एनसीसी 'बी' प्रमाण पत्र के पांच अंक आवंटित नहीं किए गए। हालाँकि, उन्होंने शारीरिक परीक्षण के बाद वर्ष 2007 में इसे जमा कर दिया। इसलिए, उन्होंने शिकायत करते हुए एक रिट याचिका दायर की कि क्योंकि उन्होंने एनसीसी 'बी' प्रमाण पत्र प्रस्तुत/जमा किया था इसलिए उन्हें पांच अतिरिक्त अंक देने से इनकार कर दिया गया था। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने यह कहते हुए कोई सकारात्मक निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया कि उनके दावे के समर्थन में रिट याचिका में कोई दलील नहीं है कि उन्होंने मूल आवेदन पत्र के साथ अपना एनसीसी 'बी' प्रमाण पत्र संलग्न किया था। एकल न्यायाधीश ने यह भी कहा कि दलीलो से यह प्रतीत होता है कि उन्होंने शारीरिक परीक्षण के बाद इसे 15.01.2007 को प्रस्तुत किया था। अर्थात, 26.12.2007 को परिणाम प्रकाशित होने से पहले। हालाँकि, जब बाद में या रिट याचिका दायर की गई, तो मूल रिट याचिकाकर्ता एक विपरीत रुख के साथ सामने आया कि उसने अपने मूल आवेदन के साथ एनसीसी 'बी' प्रमाण पत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। यह और कुछ नहीं बल्कि एक विचार है। पहले की रिट याचिका में इस आधार पर कोई सकारात्मक निर्देश प्राप्त करने में विफल रहने के कारण कि यह अभिवचन नहीं है कि उसने अपने मूल आवेदन के साथ एनसीसी 'बी' प्रमाण पत्र को संलग्न किया था, वह किसी भी सकारात्मक निर्देश का हकदार नहीं है और मूल रिट याचिकाकर्ता ने बाद की मुकदमेबाजी में अपने मामले में सुधार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जबकि मुकदमेबाजी के पहले दौर में उसने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। [पैरा 6,7] [511-डी-एच; 513-बी-डी]

बेदंगा तालुकदार बनाम सैफुदौउल्ला खान और अन्य **(2011) 12 एससीसी 85: [2011] 11 एस. सी. आर. 635;** राकेश कुमार शर्मा बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) और अन्य, **(2013) 11 एस. सी. सी. 58-संदर्भित।**

वाद कानून संदर्भ

[2011] 11 एससीआर 635	**संदर्भित किया गया है**	**पारा 3 से**
(2013) 11 एससीसी 58	**संदर्भित किया गया है**	**पारा 3 से**

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2021 की दीवानी अपील संख्या 7677

2014 के एल. पी. ए. सं.1631 में उच्च न्यायालय, पटना के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 20.02.2015 से।

अभिनव मुखर्जी, श्रीमती बिहू शर्मा, सुश्री प्रतिष्ठा विज, अक्षय सी. श्रीवास्तव। अपीलार्थियों के लिए अधिवक्तागण।

एम. शोएब आलम, सुश्री फौजिया शकील, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय माननीय **न्यायमूर्ति एम. आर. शाह**, द्वारा दिया गया।

1. 2009 की सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 7650 में 2014 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1631 में पटना उच्च क्षेत्राधिकार की खंडपीठ द्वारा 20.02.2015 को पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से असंतुष्ट और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा, अपील करने में 3 साल और 55 दिनों की देरी को माफ करने के बाद, उच्च क्षेत्राधिकार की खंड पीठ ने उक्त अपील को अनुमति दी है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया है और डीआईजी, मुंगेर को निर्देश दिया है कि वह 09.08.2007 को उन्हें भेजी गई चुनिंदा सूची को ध्यान में रखे, जिसमें यहां प्रत्यर्थी संख्या 1 का नाम (जिसे इसमें इसके बाद मूल रिट याचिकाकर्ता कहा गया है) शामिल है और कांस्टेबल के रूप में उसकी नियुक्ति के लिए आवश्यक कदम उठाएं, जिसके लिए बिहार राज्य और अन्य ने वर्तमान अपील दायर की है।

2. संक्षेप में वर्तमान अपील में वर्णित तथ्य इस प्रकार हैंः-

2.1 बिहार पुलिस बल में कांस्टेबलों के चयन के लिए दिनांक 08.02.2004 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 1/2004 के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। विज्ञापन के अनुसार, आवेदक/उम्मीदवार को अपने आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां संलग्न करनी थी। इसमें यह भी प्रावधान किया गया था कि सभी सफल उम्मीदवार अपनी नियुक्ति के समय चयन परिषद के समक्ष अपने मूल प्रस्तुत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। विज्ञापन में यह भी कहा गया था कि ऐसे प्रमाण पत्र रखने वाले उम्मीदवारों को एनसीसी 'बी' प्रमाण पत्र के लिए अतिरिक्त पांच अंक और एनसीसी 'सी' प्रमाण पत्र के लिए अतिरिक्त 10 अंक दिए जाएंगे।

2.2 उक्त विज्ञापन के अनुसरण में, मूल रिट याचिकाकर्ता ने उक्त पद के लिए आवेदन किया। उन्होंने दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक अन्य विज्ञापन के अनुसार 08.09.2006 को आयोजित पुनः मापन और शारीरिक परीक्षण में भी भाग लिया। मूल याचिकाकर्ता ने न तो आवेदन पत्र के साथ और न ही दूसरे आवेदन के साथ अपना एनसीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, उसने 12 अंक प्राप्त किए। चूंकि उन्होंने अपना एनसीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए उन्हें एनसीसी 'बी' प्रमाण पत्र के लिए पांच अतिरिक्त अंक नहीं दिए गए। मूल रिट याचिकाकर्ता ने रिट याचिका के रूप में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जो 2008 की सीडब्ल्यूजेसी संख्या 5431 है और जिसने शिकायत कि उसे विज्ञापन में दिए गए एनसीसी 'बी' प्रमाण पत्र के संबंध में पांच अंकों के लाभ से वंचित कर दिया गया है। यह उनका मामला था कि जहां उनके कुल अंक 17 थे, जो उन्हें नियुक्ति के लिए पात्र बनाते हैं, वहीं कम अंक वाले उम्मीदवारी को नियुक्त किया गया है, जबकि उनके उम्मीदवार को केवल 12 अंकों के आधार पर माना गया है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह कहते हुए उसकी उम्मीदवारी पर विचार करने के संबंध में कोई सकारात्मक निर्देश जारी

करने से इनकार कर दिया कि रिट याचिका में कोई जिक्र नहीं है कि याची ने अपने दावे के समर्थन में मूल आवेदन के साथ अपना एनसीसी 'बी' प्रमाण पत्र संलग्न किया था और आवश्यक अभिवचन के अभाव में कि याची ने अपने मूल आवेदन के साथ अपना एनसीसी 'बी' प्रमाण पत्र संलग्न किया था, कोई सकारात्मक निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है.हालांकि, विद्वत एकल न्यायाधीश ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता ने अपने मूल आवेदन के साथ इस तरह के दस्तावेज को संलग्न नहीं किया था और बाद में शारीरिक परीक्षण के बाद लेकिन परिणामों के प्रकाशन से पहले प्रस्तुत नहीं किया था, तो मामला प्राधिकारी के विवेक पर रहेगा.इसलिए, कोई भी सकारात्मक निर्देश जारी करने से इनकार करते हुए, प्राधिकारी द्वारा एक उचित निर्णय के लिए कथित रिट याचिका का निपटारा कर दिया, ताकि विवेकाधिकार का उपयोग किया जा सके और यह विचार किया जा सके कि क्या उसे एनसीसी 'बी' प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने पर पांच अतिरिक्त अंकों की अनुमति दी जा सकती है, बाद में, शारीरिक परीक्षण के बाद, लेकिन परिणाम के प्रकाशन से पहले।

2.3 इसके पश्चात् सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन, मूल रिट याचिकाकर्ता को यह जानकारी प्राप्त हुई कि उसे 17 अंक दिए गए थे। उनका आवेदन विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित पहले के आदेश के बाद, उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा यह कहते हुए पांच अतिरिक्त अंकों की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया कि मूल आवेदन प्रस्तुत करते समय, उसने एनसीसी 'बी' प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी प्रस्तुत नहीं की थी और जो बाद में शारीरिक परीक्षण के बाद दाखिल की गई थी, वह अतिरिक्त पांच अंकों के लाभ का हकदार नहीं है.मूल रिट याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान रिट याचिका दायर की, जो 2009 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 7650 है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 01.10.2010 के निर्णय और आदेश द्वारा उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया।

2.4 तीन वर्ष की अवधि के बाद, मूल रिट याचिकाकर्ता ने खंड न्यायपीठ के समक्ष 2014 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1631 दाखिल किया। आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने तीन साल की देरी को माफ कर दिया है और उसके बाद लेटर्स पेटेंट अपील के द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द करने और रद्द करने की अनुमति दी है, और नियुक्ति प्राधिकारी को निर्देश दिया है कि वह मूल रिट याचिकाकर्ता को 08 सितंबर, 2007 को अग्रेषित चयनित सूची के अनुसार एनसीसी 'बी' प्रमाण पत्र के पांच अतिरिक्त अंक प्रदान करते हुए कांस्टेबल के रूप में नियुक्त करे।

2.5 उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए बिहार राज्य और अन्य ने वर्तमान अपील दायर की है।

3. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, श्री अभिनव मुखर्जी, ने जोरदार रूप से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित सुविचारित निर्णय और आदेश को रद्द करने और दरकिनार करने में वस्तुतः गलती की है और अपीलार्थियों को एनसीसी 'बी' प्रमाणपत्र के पांच अतिरिक्त अंक प्रदान करके मूल रिट याचिकाकर्ता को कांस्टेबल नियुक्त करने का निर्देश देने में वस्तुतः गलती की है।

3.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि विज्ञापन के अनुसार, आवेदक से आवेदन प्रपत्र के साथ एनसीसी 'बी' प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करने की अपेक्षा की गई थी और मूल को चयन परिषद के समक्ष उनकी नियुक्ति के समय प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, प्रस्तुत रिट याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन पत्र के साथ एनसीसी 'बी' प्रमाण पत्र की ज़ेरॉक्स प्रति संलग्न नहीं किया था। यह कहा जाता

है कि वर्ष २००७ में शारीरिक परीक्षा के बाद यह प्रस्तुत किया गया था और इसलिए वह एनसीसी 'बी' प्रमाण पत्र के अतिरिक्त पांच अंकों के हकदार नहीं था.यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कट-ऑफ तिथि २२. ०२. २००४ थी और उस समय मूल रिट याचिकाकर्ता ने एनसीसी 'बी' प्रमाणपत्र की फोटोकॉपी प्रस्तुत नहीं की थी.यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त तथ्यों के बावजूद, दिनांक 08.09.2007 की चयनित सूची में, उन्हें 17 अंक प्रदान किए गए थे। हालांकि, यह पाया गया कि वह एनसीसी 'बी' प्रमाण पत्र के अतिरिक्त पांच अंकों का हकदार नहीं था क्योंकि उसने आवेदन पत्र के साथ एनसीसी 'बी' प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी प्रस्तुत नहीं की थी, जो कि विज्ञापन पत्र के अनुसार आवश्यक था। इसलिए नियुक्ति प्राधिकारी ने पांच अतिरिक्त अंक आवंटित नहीं किए। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि नियुक्ति प्राधिकारी और राज्य द्वारा एनसीसी 'बी' प्रमाण पत्र के पांच अतिरिक्त अंक आवंटित न करने का एक सही निर्णय लिया गया था.यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने ठीक ही याचिका को खारिज कर दिया, जिसे उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा गलत तरीके से खारिज कर दिया गया है.अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि कानून की निर्धारित स्थिति के अनुसार केवल आवेदन के समय प्रस्तुत दस्तावेजों पर ही विचार किया जाएगा **बेदंगा तालुकदार बनाम सैफुदौल्ला खान और अन्य, (2011) 12 एससीसी 85 और राकेश कुमार शर्मा बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) और अन्य, (2013) 11 एससीसी 58** के मामलों में इस न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों पर निर्भर किया जाता है।

4. वर्तमान अपील का श्री एम. शोएब आलम द्वारा विरोध किया गया है, जो प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि शुरुआत से ही मूल रिट याचिकाकर्ता का मामला था कि उसने अपने आवेदन के साथ एनसीसी 'बी' प्रमाण पत्र सहित सभी प्रासंगिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे.यह प्रस्तुत किया जाता है कि 2009 की सीडब्ल्यूजेसी संख्या ७६५० में भी मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा विशेष रूप से यह

अभिवचन किया गया था कि उसने आवेदन के साथ एनसीसी 'बी' प्रमाणपत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए थे.यह आग्रह किया जाता है कि बाद में यह पाया गया कि बाढ़ में संबंधित रिकॉर्ड नष्ट हो गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक 08.09.2007 की चयनित सूची में भी मूल रिट याचिकाकर्ता को 17 अंक आवंटित किए गए थे, जिसमें एनसीसी 'बी' प्रमाण पत्र के पांच अतिरिक्त अंक शामिल थे। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने सही रूप से दिनांक 08.09.2007 की चयनित सूची के अनुसार कार्य करने का निर्देश दिया है और सही रूप से दिनांक 08.09.2007 की चयनित सूची के आधार पर मूल रिट याचिकाकर्ता को कांस्टेबल के रूप में नियुक्त करने का निर्देश दिया है.यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भी बकाया वेतन देने से इनकार कर दिया है।

4.1 उपर्युक्त प्रस्तुतियां देते हुए यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील को खारिज कर दिया जाए।

5. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है।

6. शुरुआत में, यह नोट किया जाना चाहिए कि विज्ञापन के अनुसार, आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ सभी प्रासंगिक दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों की फोटोकॉपी जमा करनी थी और मूल दस्तावेजों को उनकी नियुक्ति के समय चयन परिषद के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक था। ऐसा प्रतीत होता है कि मूल रिट याचिकाकर्ता ने अपने मूल आवेदन के साथ एनसीसी 'बी' प्रमाणपत्र की फोटोकॉपी प्रस्तुत/प्रस्तुत नहीं की थी। इसलिए, आवेदन के साथ एनसीसी 'बी' प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी जमा करने के अभाव में, उसे एनसीसी 'बी' प्रमाण पत्र के पांच अंक आवंटित नहीं किए गए। हालांकि, उन्होंने शारीरिक परीक्षण के बाद वर्ष 2007 में इसे प्रस्तुत किया। इसलिए, उन्होंने 2008 की सीडब्ल्यूजेसी संख्या 5431 के रूप में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें शिकायत की गई कि उन्होंने एनसीसी 'बी' प्रमाण पत्र प्रस्तुत/

प्रस्तुत किया था। फिर भी उसे 12 अंक दिए गए और पांच अतिरिक्त अंक नहीं दिए गए, जो गलत था। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह कहते हुए कोई भी सकारात्मक निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया कि उसके दावे के समर्थन में रिट याचिका में कोई अभिवचन नहीं है कि उसने मूल आवेदन पत्र के साथ अपना एनसीसी 'बी' प्रमाण पत्र संलग्न किया था.विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी कहा कि अभिवचनों से ऐसा प्रतीत होता है कि उसने शारीरिक परीक्षण के बाद 15.01.2007 को, अर्थात्, 26.12.2007 को परिणाम प्रकाशित होने से पहले, इसे प्रस्तुत किया था.विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि आवश्यक अभिवचनों के अभाव में कि याचिकाकर्ता ने अपने मूल आवेदन के साथ अपना एनसीसी 'बी' प्रमाण पत्र संलग्न किया था, न्यायालय को उसकी उम्मीदवारी पर विचार करने के संबंध में कोई सकारात्मक निर्देश जारी करने में कठिनाई होती है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश इस प्रकार हैः-

> “याचिकाकर्ता और राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।
>
> याचिकाकर्ता 2004 की विज्ञापन संख्या 1 के तहत कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए एक आवेदक था.इसके जवाब में आवेदन करने के बाद, वह 8.5.2006 को शारीरिक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, जब उन्हें 12 अंक दिए गए। शिकायत यह है कि उसे विज्ञापन में दिए गए एनसीसी-बी प्रमाण पत्र के संबंध में 5 अंकों के लाभ से वंचित कर दिया गया है। इस प्रकार, जहां उसके कुल अंक 17 थे, जो उसे नियुक्ति के लिए पात्र बनाते हैं, वहीं कम अंक वाले लोगों को तब नियुक्त किया गया है जब उसके उम्मीदवार को केवल 12 अंक के आधार पर माना गया है।
>
> रिट आवेदन में कोई अभिवचन नहीं है कि याचिकाकर्ता ने मूल आवेदन के साथ अपने दावे के समर्थन में अपना एनसीसी-बी प्रमाण पत्र संलग्न किया है.अभिवचनों से यह प्रतीत होता है कि उसने इसे शारीरिक परीक्षण के बाद 15.01.2007 को प्रमाण-

पत्र प्रस्तुत किया और परिणाम 26.12.2007 को प्रकाशित होने से पहले। प्रकथन के समर्थन में २३. ६. २००८ दिनांकित अनुलग्नक-८ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत याचिकाकर्ता को दी गई जानकारी पर काफी भरोसा किया गया है.

आवश्यक अभिवचनों के अभाव में कि याचिकाकर्ता ने अपने मूल आवेदन के साथ अपना एनसीसी-बी प्रमाण पत्र संलग्न किया था, इस न्यायालय को याची की उम्मीदवारी पर विचार करने के संबंध में कोई सकारात्मक निर्देश जारी करने में कठिनाई होती है.यदि याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन के साथ शुरु में ही अपना एनसीसी-बी प्रमाण पत्र संलग्न किया था, तो स्वाभाविक रूप से उसे अनुलग्नक-8 दिनांक 23.6.2008 में उल्लिखित 17 अंकों के आधार पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन, यदि याचिकाकर्ता ने अपने मूल आवेदन के साथ ऐसे दस्तावेजों को संलग्न नहीं किया था और बाद में शारीरिक परीक्षण के बाद लेकिन परिणामों के प्रकाशन से पहले प्रस्तुत नहीं किया था, तो मामला प्रत्यर्थियों के विवेक पर रहेगा और इस न्यायालय के लिए उसकी उम्मीदवारी पर विचार करने के पहलू पर कोई सकारात्मक आदेश पारित करना संभव नहीं है.न्यायालय का ऐसा मत है कि यदि यह न्यायालय किसी शर्त में छूट देने का निर्देश देता है तो यह न्यायिक आदेश द्वारा संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।

इस आदेश की एक प्रति की प्राप्ति और/या प्रस्तुति की तारीख से अधिकतम छह सप्ताह की अवधि के भीतर प्रत्यर्थियों द्वारा एक उचित निर्णय के लिए रिट आवेदन पूर्वोक्त शर्तों में निपटाया जाता है।"

7. इस प्रकार पिछला 2008 की सीडब्ल्यूजेसी संख्या 5431 के अभिवचनों के अनुसार, उसके दावे के समर्थन में कोई प्रकथन नहीं था कि उसने मूल आवेदन के साथ

अपने एनसीसी 'बी' प्रमाणपत्र को संलग्न किया था.हालांकि, जब बाद में वर्तमान रिट याचिका दायर की गई, तो मूल रिट याचिकाकर्ता ने एक विपरीत स्थिति पेश की कि उसने अपने मूल आवेदन के साथ एनसीसी 'बी' प्रमाण पत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए थे.पूर्वोक्त और कुछ भी नहीं बल्कि बाद का एक विचार है। पहले की रिट याचिका में इस आधार पर कोई सकारात्मक निर्देश प्राप्त करने में विफल रहने के कारण कि यह अभिवचन नहीं है कि उसने अपने मूल आवेदन के साथ एनसीसी 'बी' प्रमाण पत्र को संलग्न किया था, वह किसी भी सकारात्मक निर्देश का हकदार नहीं है और मूल रिट याचिकाकर्ता को बाद की मुकदमेबाजी में अपने मामले में सुधार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जब यह मुकदमेबाजी के पहले दौर में उसने ऐसी कोई बात नहीं कही थी।

8. पुर्नवाद के खर्च पर, यह देखा जाना चाहिए कि मुकदमे के पहले दौर में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने विशेष रूप से कहा कि रिट याचिका में कोई अभिवचन नहीं है कि याचिकाकर्ता ने मूल आवेदन के साथ अपने एनसीसी 'बी' प्रमाण पत्र को संलग्न किया था.एक बार, यह पाया गया कि प्रत्यर्थी नं. १-मूल रिट याचिकाकर्ता ने मूल आवेदन, जो विज्ञापन के अनुसार आवश्यक था और विज्ञापन के अनुसार कट-ऑफ तिथि २२. ०२. २००४ थी, के साथ एनसीसी 'बी' प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी प्रस्तुत नहीं की और उसने उसे १५. ०१. २००७ को शारीरिक परीक्षण के बाद प्रस्तुत किया, नियुक्ति प्राधिकारी ने सही ठहराया कि वह एनसीसी 'बी' प्रमाण पत्र के अतिरिक्त पांच अंकों का हकदार नहीं होगा.यद्यपि दिनांक 08.09.2007 की चयनित सूची में, उन्हें 17 अंक प्रदान किए गए थे, जिसमें एनसीसी 'बी' प्रमाण पत्र के पांच अतिरिक्त अंक शामिल थे, लेकिन नियुक्ति प्राधिकारी ने इस आधार पर उनसे असहमति जताई कि चूंकि एनसीसी 'बी' प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी उनके आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं की गई थी, जो विज्ञापन के अनुसार आवश्यक था, वह एनसीसी 'बी' प्रमाण पत्र के पांच अतिरिक्त अंक के हकदार नहीं होंगे। इसलिए, जब प्रत्यर्थी नं. १-मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर एक निर्णय लिया गया, जो विद्वत एकल

न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका में २००८ की सीडब्ल्यूजेसी नं. ५४३१ में पारित पहले के आदेश के अनुसरण में था, तो प्राधिकारी ने सही रूप से एनसीसी 'बी' प्रमाणपत्र के पांच अतिरिक्त अंक आवंटित करने/देने से इनकार कर दिया.

9. कानून के स्थापित प्रस्ताव के अनुसार, एक उम्मीदवार/आवेदक को विज्ञापन में उल्लिखित कट-ऑफ तिथि से पहले सभी शर्तों/पात्रता मानदंडों का पालन करना होगा जब तक कि भर्ती प्राधिकारी द्वारा विस्तार नहीं दिया जाता है। इसके अलावा, केवल उन दस्तावेजों पर विचार किया जाएगा, जो आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए हैं, जिन्हें विज्ञापन के अनुसार प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इसलिए, जब प्रत्यर्थी नं. १-प्रस्तुत रिट याचिकाकर्ता ने विज्ञापन के अनुसार प्रस्तुत आवेदन के साथ एनसीसी 'बी' प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी प्रस्तुत नहीं की और उसे कट-ऑफ तिथि से तीन साल की अवधि के बाद प्रस्तुत किया गया और वह भी शारीरिक परीक्षण के बाद, वह एनसीसी 'बी' प्रमाण पत्र के अतिरिक्त पांच अंकों का हकदार नहीं था.इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपीलार्थियों को कांस्टेबल के पद पर प्रतिवादी नं. १-मूल रिट याचिकाकर्ता को नियुक्त करने का निर्देश देने में गलती की है, दिनांक ०८. ०९. २००७ की चयनित सूची पर विचार करते हुए और एनसीसी 'बी' प्रमाण पत्र के पांच अतिरिक्त अंक आवंटित किए हैं.

10. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों से, वर्तमान अपील सफल होती है और उच्च न्यायालय को खंडपीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और उसके द्वारा पारित आदेश। इसके द्वारा रद्द और खारिज किया जाता है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को बहाल किया जाता है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

देविका गुजराल अपील की अनुमति